न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक।
डॉ. नीलम मीणा, आर.ए.एस. द्वारा अध्यासित।

प्रा. पत्र संख्या - 38/2020

निर्णय दिनांक - 17-12-2020

उनवान

1. अम्बालाल पुत्र छोगाराम
2. गन्दोड़ी
3. तुलसा
4. राम प्यारी

(2–4) पुत्री छोगाराम

5. अर्जुन पुत्र गोपाल
6. राधा किशन पुत्र छोटूलाल
7. मोहन पुत्र गोविन्द राम

(1–7) समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम बारेड़ा पटवार हलका बस्सी तहसील निवाई जिला टोंक।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राम स्वरूप पुत्र रामचन्द्र
2. मीठा लाल पुत्र बद्री
3. बनवारी पुत्र बद्री
4. जमना पत्नी बद्री
5. गीता पुत्री बद्री
6. हंसा पुत्री बद्री

(1–6) समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम बारेड़ा, पटवार हलका बस्सी, तहसील निवाई जिला टोंक।

7. तहसीलदार निवाई।
8. उप पंजीयक निवाई।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम।

उपस्थित – 1. श्री रामवतार शर्मा वकील प्रार्थीगण।
2. श्री ~~कौशल~~ किशोर जाट अप्रार्थी सं. 1
3. श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थी सं. 2 ता 6।

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:-

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यक्ति है जो कि पन्नालाल पुत्र बालजी के वैध वारिस है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से बसाई गई आराजियात ग्राम बारेड़ा, बस्सी व बदड़ में है, जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का 1/7 - 1/7 हक हिस्सा है, तथा इसी अनुरूप काश्त कर रहे है।

ग्राम बारेड़ा में खाता सं- 78, 191, 221, 4, 18, 19, 81, 222, 224, 225, 82, 226, 253, 254, 223, तथा ग्राम बदड़ का खाता नं. 35, 36, 182, 277, 526 व ग्राम बस्सी का खाता नं. 24 में प्रार्थीगणों व अप्रार्थीगण की खातेदारी व हक हिस्सा दर्ज है,।

ग्राम बदड़ के खसरा नं. 32, 33, 36 से 40 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के संयुक्त परिवार की आय से बदड़ ठाकुर साहब नारायण सिंह एवं रणवीर सिंह जी से बद्री पुत्र मुलचन्द के नाम से खरीदकर बसाई गई भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संलग्न सजरे के मुताबिक 1/7 - 1/7 के हिस्सेदार है तथा इसी अनुरूप काबिज होकर काश्त कर रहे है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में कुछ भूमियाँ सभी के नाम से नही बसा कर ग्राम बारेड़ा, बदड़, बस्सी में अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से बसाई गई थी जिसे सभी भाईयों ने आपसी सहमति एवं राजामन्दी से बाहमी रूप से मौके पर बाँटकर बतौर मालिक भूमि को काश्त कर रहे है, किन्तु उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम अंकित नही होने से अब अप्रार्थीगण के मन व नियत में खोट व बेईमानी आ गई है, तथा वह प्रार्थीगण को भूमि में उनका वैधानिक हक व हिस्से से इनकार करने लग गए है।

Scanned with CamScanner

भूमि खसरा न. 32, 33, 36 से 40 वाके ग्राम बहड़ बद्रीपुत्र मूलचन्द के नाम बसा लेने के बाद बद्री का स्वर्गवास हो जाने पर अप्रार्थी स० 2 ता 6 के नाम इन्द्राज हो गई। जब कि मौके पर इस भूमि पर बजरंग लाल, मूलचन्द, छोटूलाल, गोविन्द राम व छोगालाल के वारिस मौके पर काबिज मालिक चले आ रहे है। भूमि अप्रार्थी स० 2 ता 6 के नाम अंकित होने से प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण के हक व हिस्से से इनकार करने लग गए है, तथा उक्त भूमि को बेचान करने व मौके से प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण को मौके से बेदखल करने पर आमादा है। जिसका उन्हें कोई विधिक हक एवं अधिकार नही है अतः अप्रार्थीगण को ता फैसला वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि वह भूमि खसरा न. 32, 33, 36 से 40 वाके ग्राम बहड़ में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नही करे बिना विधिवत तकासमा किसी भी व्यक्ति के हक में रहन, विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसका सार निम्न प्रकार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का धन्नालाल जी के वारिसान होना स्वीकार है। परन्तु उनकी मृत्यु उपरान्त उनकी छोड़ी गई सम्पत्ति में ही सबका 1/7 हिस्सा है। खसरा न. 32, 33, 36 से 40 संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति नही है बल्कि उक्त सम्पत्ति अप्रार्थी स० 2 ता 6 के स्व० पिता बद्रीलाल द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति है। उक्त भूमि को दिनांक 12-12-1963 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र श्रीमति मेनकंवर पत्नी ठा. रणवीरसिंह

Scanned with CamScanner

निवासी बदड़ से क्रय की गई थी। बद्री नारायण जी के फोत होने के पश्चात उक्त भूमि प्रार्थीगण स. 2 ता 6 के नाम होकर वे ही काबिज काश्त है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का कोई हिस्सा नही है, यह सम्पत्ति प्रार्थीगण 2 ता 6 की स्व अर्जित सम्पत्ति है। जिसके प्रार्थी स. 2 ता 6 करीब 60 वर्षो से अपने पिता के जीवन-काल से काबिज काश्त चले आ रहे रिकोर्डेड खातेदार है। जिनको प्रार्थीगण किसी प्रकार से पाबन्द करवाने के हकदार नही है। प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वास्ते अभिभाषक गण उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि भूमि खसरा न. 32, 33, 36 से 40 ग्राम बदड़ संयुक्त परिवार की आय से क्रीत पैतृक सम्पत्ति है अतः अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि दौराने वाद उक्त भूमि के रिकोर्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि 32, 33, 36 से 40 ग्राम बदड़ में स्थित है, जिसे अप्रार्थीगण 2 ता 6 के पिता ने 12-12-1963 को जरिये रजि. विक्रय पत्र से खरीदा था। अतः सम्पत्ति पैतृक न होकर स्व अर्जित सम्पत्ति है। जिसमें प्रार्थीगण का कोई लेना देना नही है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमावें।

Scanned with CamScanner

हमने बहस अभिभाषकगण पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण करते समय न्यायालय को मुख्यतः तीन बिन्दुओं पर विचारण किया जाना होता है, जिसके अनुसार प्रकरण की स्थिति इस प्रकार है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :-

प्रार्थीगण द्वारा तीन ग्रामों कारेडा, बस्सी, व बड़ में स्थित अनेक खसरा नम्बरान का उल्लेख किया है, जिनमें से खसरा नं. 32, 33, 36 से 40 वाके ग्राम बड़ के सम्बन्ध में कथन किया है, कि यह सम्पत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय की गई थी अतः यह पैतृक सम्पत्ति है तथा इस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का संयुक्त रूप से हक हिस्सा व कब्जा काश्त है। पत्रावली के साथ संलग्न जमाबन्दी ग्राम बड़ संवत 2072-75 के अनुसार अप्रार्थीगण 2 ता 6 के नाम दर्ज है।

पत्रावली के साथ संलग्न प्रतिलिपि विक्रय पत्र दि. 12-12-1963 से स्पष्ट है, कि उक्त खसरा नं. की भूमि 2 ता 6 के पिता स्व. बद्री द्वारा क्रय की गई थी।

प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य अभी तक पेश नहीं किया गया है, जिससे उक्त भूमि संयुक्त परिवार की आय से क्रय किया जाना व प्रार्थीगण का इन खसरा नम्बरान पर काबिज काश्त होना साबित होता हो। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित न होकर अप्रार्थी सं. 2 ता 6 के पक्ष में साबित है।

Scanned with CamScanner

2. सुविधा का सन्तुलन :-

भूमि वादग्रस्त पर न तो प्रार्थीगण का कब्जा कायम साबित होता है, तथा न ही भूमि का पैतृक होना साबित है। दूसरी ओर अप्रार्थीगण भूमि वादग्रस्त के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

3. अपूर्णीय क्षति :-

अप्रार्थीगण भूमि वादग्रस्त के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, ऐसी स्थिति में यदि उन्हे पाबन्द किया जा कर उनके हक अधिकारों के उपयोग, उपभोग से वंचित किया जाता है, तो अपूर्णीय क्षति भी उन्हें ही होगी। अतः यह बिन्दु भी अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि प्रार्थीगण उक्त तीनों बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहें है, अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा जारी किया गया अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दि. 04-9-2020 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर सलग्न मूलवाद रहें।

निर्णय आज दिनांक 17-12-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

डॉ. नीलम मीणा
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) निवाई

Scanned with CamScanner